रजिस्टर्ड नं0 एच0-33/एस0एम0एल0 14/92

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 31 जुलाई, 1992/9 श्रावण, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 15 जुलाई, 1992

क्रमांक पंच0 के0 जी0 आर0-ई0-(12) 21/91-II-1342-47.—यह कि श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री निरमोरी, निवासी आसनपटट, मौजा लाहला की 32 भेड़ें आसमानी बिजली गिरने से टीका सेढूनाला, मौजा कण्डी में मरी हुई बताई हैं जिसके बारे में प्रधान, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगणू) ने उप-प्रधान श्री जीवनलाल को मौका देखकर रिपोर्ट करने को कहा था ।

(2) यह कि उप-प्रधान श्री जीवन लाल वार्ड, पंच श्री धनी राम के साथ मौका देखा और 27 भेड़ मरने की बात नायब-तहसीलदार पालमपुर की अदालत में दिनांक 25-5-92 को ब्यान कलम बन्द करवाया तथा आपने यह माना कि 23 भेड़ें तथा 4 बच्चे आसमानी बिजली गिरने के कारण मरे हुए देखा ।

(3) यह कि आपने उप-मण्डल अधिकारी (शिष्ट) पालमपुर के समक्ष यह ब्यान दिया है कि एक दिन जब पंचायत का कोरम हो रहा था तो आपको जगी राम, निवासी आसनपट्ट ने बाहिर बुलाकर किसी कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये थे परन्तु 20-25 दिन के बाद आपको पता चला कि वह कागज भेड़-बकरियां मरन के बारे में है और आपने यह माना कि भेड़-बकरियां नहीं मरी हैं और यह झुठा केस है।

(4) यह कि उप-मण्डल अधिकारी (शिष्ट) पालमपुर व नायब-तहसीलदार के समक्ष जो ब्यान दिये वे बिलकुल भिन्न है जिससे सिद्ध होता है कि आपने एक झूठे ब्यान देकर गलत केस बनाकर श्री जगदीश चन्द को भेड़-बकरियों के मरने की क्षतिपूर्ति दिलाने की कोशिश की है जिसके लिये आप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत दोषी पाये जाते हैं।

अत: मैं, श्रीनिवास जोशी, उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री जीवन लाल, उप-प्रधान ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगरू), विकास खण्ड पंचरुखी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) तथा संगत नियम 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देता हूं कि क्यों न आपको उपरोक्त कृत्यों के लिए उप-प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। आपका उत्तर इस पत्र की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना है तथा विभाग एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिये बाध्य होगा।

धर्मशाला, 15 जुलाई, 1992

क्रमांक पंच-हे0 जी0 आर0-ई0-(12) 21/91-II-1348-53.—यह कि श्री अरविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगरू), विकास खण्ड पंचरुखी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा ने श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री गिरनोरी, निवासी आसनपट्ट, मौजा लाहला के झूठे प्रार्थना-पत्र पर पटवारी हल्का कण्डी से नुकसान बारे नक्शा, कुवाइफ इस कारण बनवाया है कि उक्त श्री जगदीश चन्द की 32 भेड़ें आसमानी बिजली गिरने से टीका सेदूनाला, मौजा कण्डी में मर गई है।

(2) यह कि मामले की छानबीन नायब-तहसीलदार, पालमपुर द्वारा करवाई गई है जिनकी अदालत में (दिनांक 28-4-92) को आपने यह ब्यान किया है कि आपने मौका स्वयं देखा है और नुकसान ठीक पाया गया है।

(3) यह कि नायब-तहसीलदार, पालमपुर के सम्मुख सर्व श्री चमन लाल व प्रधान सिंह ने ब्यान किए हैं कि आसमानी बिजली से कोई नुकसान भेड़-बकरियों का नही हुआ है क्योंकि जिस जगह पर नुकसान दिखाया गया है वह जगह उनके घर के पास ही है।

(4) यह कि उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि आपने झूठे ब्यान देकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) के अन्तर्गत अपने कार्य निभाने में अवहेलना की है।

अत: मैं, श्री निवास जोशी, उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उपरोक्त श्री अरविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगरू) को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) तथा संगत नियम 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देता हूं कि क्यों न आपको उपरोक्त कृत्यों के लिय प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। आपका उतर इस पत्र की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना है तथा विभाग एक पक्षीय कार्यवाही करने में बाध्य होगा।

धर्मशाला, 15 जुलाई, 1992

क्रमांक पंच-के0जी0आर0ई0-(12)21/91-11-1336-41.—यह कि वार्ड पंच श्री धनीराम, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगगू), विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा ने उप-प्रधान श्री जीवन लाल के कहने पर श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री सिरमौरी, निवासी आसनपट्ट, मौजा लाहला की 27 भेड़ें आसमान की बिजली गिरने के कारण मरी हुई बताई है का मौका देखा और यह पुष्टि की कि वाक्य ही उपरोक्त श्री जगदीश चन्द की भेड़ें मरी हुई पाई गई है।

(2) यह कि मामले में नायब-तहसीलदार, पालमपुर से छानबीन करवाने पर पाया गया कि श्री जगदीश चन्द की 27 भेड़ें मरने का मामला बिल्कुल झूठा है।

(3) यह कि आपने श्री जगदीश चन्द की 27 भेड़ें मरने की झूठी पुष्टि की है जिससे आप अपने कर्तव्य पालनता में दोषी पाये जाते हैं।

अतः मैं, श्रीनिवास जोशी, उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उपरोक्त श्री धनी राम वार्ड 5, ग्राम पंचायत कण्डी (द्रोगगू), विकास खण्ड पंचरुखी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (डी) तथा संगत नियम 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देता हूं कि क्यों न आपको उपरोक्त कृत्यों के लिए पंच पद से निलम्बित किया जाए। आपका उत्तर इस पत्र की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको इस बारे कुछ नहीं कहना है तथा विभाग एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिये बाध्य होगा।

श्रीनिवास जोशी,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 16 जुलाई 1992

संख्या पंच-के0जी0आर0 (एम0) 17/91-1423-27.—क्योंकि श्री दिनेश कुमार पंच, ग्राम पंचायत क्यारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा की सरकारी नौकरी पर नियुक्ति हो चुकी है।

और क्योंकि सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 के अन्तर्गत अयोग्यता समझी जाती है तथा इसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, रैत ने भी की है।

अतः मैं, के0जे0वी0वी0 सुब्राह्मणयम, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री दिनेश कुमार, पंच ग्राम पंचायत क्यारी, विकास खण्ड रैत की सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (आ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त पंच के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

धर्मशाला 16 जुलाई, 1992

संख्या पंच-के0जी0आर0 (एम0) 17/91-1428-33.—क्योंकि श्री करतार सिंह, पंच, ग्राम पंचायत

कस्वा रैत, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-6-1992 के अन्तर्गत यह सूचित किया है कि वह स्थानीय सहकारी सभा का सचिव होने के फलस्वरूप पंच पद से त्याग-पत्र दे दिया है तथा इसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, रैत ने भी की है।

अतः मैं, के0 जे0 वी0 वी0 सुब्राह्मणयम, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री करतार सिंह पंच, ग्राम पंचायत कस्वा रैत, विकास खण्ड रैत का पंच पद से त्याग-पत्र हिमाचल प्रदेश पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (आ) के अन्तर्गत स्वीकार करता हूं ।

धर्मशाला, 16 जुलाई, 1992

संख्या पंच-के0 जी0आर0 (एम0) 17/91-1434-37.—क्योंकि श्री सुखदेव सिंह, पंच, वार्ड नं0 6, ग्राम पंचायत परागपुर, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा दिनांक 11-2-1992 को बीमारी के कारण देहान्त हो चुका है।

अतः मैं, के0 जे0 वी0 वी0 सुब्राह्मणयम, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री सुखदेव सिंह, पंच, वार्ड नं0 6, ग्राम पंचायत परागपुर, विकास खण्ड परागपुर की मृत्यु होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (आ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त पंच के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

धर्मशाला, 16 जुलाई, 1992

संख्या पंच-के0 जी0 आर0 (एम0) 17/91-1417-22.—क्योंकि श्री विलोक सिंह, पंच, वार्ड नं0 5, ग्राम पंचायत क्यारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा की सरकारी नौकरी पर नियुक्ति हो चुकी है।

और क्योंकि सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 के अन्तर्गत अयोग्यता समझी जाती है तथा इसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, रैत ने की है।

अतः मैं, के0 जे0 वी0 वी0 सुब्राह्मणयम, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री विलोक सिंह, पंच, ग्राम पंचायत क्यारी, विकास खण्ड रैत की सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (आ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त पंच के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

धर्मशाला, 16 जुलाई, 1992

संख्या पंच-के0 जी0 आर0 (एम0) 17/91-1413-16.—क्योंकि श्री विक्रम चन्द, पंच, वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत सिम्बल-खोला, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा का दिनांक 4-1-1992 को बीमारी के कारण देहान्त हो चुका है।

अतः मैं, के0 जे0 वी0 वी0 सुब्राह्मणयम, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री विक्रम चन्द, पंच,

वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत सिम्बल-खोला, विकास खण्ड पंचरुखी की मृत्यु होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (आ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त पंच के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

धर्मशाला, 16 जुलाई, 1992

संख्या पंच-के0 जी0 आर0 (एम0) 17/91-1407-12.—क्योंकि श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री बनवारी लाल, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगड़ा ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-1-1992 के अन्तर्गत यह सूचित किया है कि वह ग्राम पंचायत जगरूपनगर में उप-प्रधान तथा वार्ड नं0 2 से पंच होने के फलस्वरूप उन्होंने पंच पद से अपना त्याग-पत्र दे दिया है तथा खण्ड विकास अधिकारी लम्बागांव ने भी इसकी स्वीकृति हेतु सिफारिश की है।

अतः मैं, के0 जे0 वी0 वी0 सुब्राह्मणयम, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्रीमती कृष्णा देवी, विकास खण्ड लम्बागांव का पंच पद से त्याग-पत्र हिमाचल प्रदेश पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (आ) के अन्तर्गत स्वीकार करता हूं।

के0 जे0 वी0 वी0 सुब्राह्मणयम,
अतिरिक्त उपायुक्त
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, शिमला-171006

विज्ञापन बावत अकसाम अराजी तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0)

तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन का केवल 11 महालात का स्पैशल रीविजन आफ रिकार्ड आफ राइट्स का नोटीफिकेशन नं0 रैव0 2 एफ0 (2)-9/79, दिनांक 10 जनवरी, 1990 द्वारा होना तय हुआ है। इस समय इन महालात का कार्य भू-व्यवस्था मीट्रिक प्रणाली में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम 4 के अनुसार किसी क्षेत्र की जरायती अराजी की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए अकसाम अराजी की तजबीज की जानी आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 52 और पंजाब भू-व्यवस्था नियमावली के पैरे 515 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इन 11 महालात के लिए नवीन भू-राजस्व की कायमी अभी तो नहीं की जानी है, परन्तु जब इस तहसील का कार्य भू-व्यवस्था (सालम का) कभी आयन्दा पूरा होगा, उस समय इन 11 महालात के लिए नवीन भू-राजस्व की कायमी होगी। उपरोक्त परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुए यह उचित समझा गया कि उपरोक्त प्रावधानों की उपस्थिति में तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन के लिए निम्नलिखित अकसाम अराजी की तजबीज की जाती है, जिसका अमल फिलहाल इस तहसील के 11 महालात (नोटिफाईट) में किया जाना है और बाकी तहसील के महालात जब भी नोटिफाईड हों, उनमें भी यक अमली हेतु यही किस्में अमल में लाई जावगी :—

"मजरूआ"

"सींचित"

1. कुहल अव्वल.—कुहलों द्वारा होने वाली आबपाश वह भूमि जिसमें साल में प्रायः दो फसलें काश्त होती हों और हर फसल के लिए पानी माकूल मात्रा में प्राप्त होता हो।

2. कुहल दोयम :--कूहलों द्वारा होने वाली आवपाशी वह भूमि जिसमें साल में एक या दो फसलें होती हों और आवपाशी क लिए पानी कुहल अब्बल की अपेक्षा कम प्राप्त होता हो तथा फसल भी कुहल अब्बल की अपेक्षा कम होती हो ।

3. कुहल सोयम :--कूहलों द्वारा आवपाश होने वाली वह भूमि जिसे आवपाशी के लिए पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता हो और जिसमें साल में एक या दो साल में दो/तीन फसलें काश्त होती हों ।

4. बागीचा कुहल अब्बल फलदार :--ऐसा बागीचा जो कुहलों द्वारा सींचित होता हो और सिचाई के लिए पानी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता हो तथा वह बागीचा फल दे रहा हो ।

5. बागीचा कुहल अब्बल बिना फलदार --ऐसा बागीचा जो कुहलों द्वारा सींचित होता हो और सिचाई के लिए पानी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता हो, परन्तु उसमें अभी तक फल न लगते हों ।

6. बागीचा कुहल दोयम फलदार :--कूहलों द्वारा आवपाश होने वाला वह बागीचा जिसमें लगे पौधे फल दे रहे हों और आवपाशी क लिए पानी बागीचा कुहल अब्बल की अपेक्षा कम मात्रा म उपलब्ध होता हों ।

7. बागीचा कुहल दोयम बिना फलदार :-कुहलों द्वारा आवपाश होने वाला ऐसा बागीचा जिसमें सिचाई के लिए पानी तो बागीचा कुहल दोयम फलदार की ही भान्ति मिलता हो, परन्तु उसमें लगे पौधे अभी इतने छोटे हैं कि उनमें फल नहीं लगते ।

8. कुहल अब्बल--वह भूमि जिसमें पानी आवपाशी के लिए तो मिलता है और उस भूमि में साल में तो फसलें काश्त की जाती है परन्तु पानी कुहलों में एक विशेष अवधि (13 सितम्बर से 18 फरवरी) के लिए ही छोड़ा जाता है । इस प्रकार के रकबा में कुहल अब्बल और कुहल दोयम के मुकाबला में पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है ।

9. कतूहल दोयम --वह भूमि जो उपरोक्त परिभाषित कतूल अब्बल जैसी ही हो, परन्तु उसे आवपाशी के लिए पानी कतूल अब्बल की अपेक्षा कम मात्रा में मिलता हो ।

10. बागीचा कतूल फलदार--वन भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार लगा रखे हों और उसे आवपाश करने के लिए पानी कतूल उपरोक्त की भान्ति मिलता हो और द्रख्तान फल दे रहें हो ।

11. बागीचा कतूल बिना फलदार--उपरोक्त परिभाषित किस्म नं0 10 जिस में द्रख्तान फलदार अभी छोटे हों और वे फल न दे रहे हों ।

"असींचित"

1. बंगर अब्बल--वर्षा पर आधारित वह भूमि जो आबादी के नजदीक हो और उसमें खाद पर्याप्त मात्रा में पड़ती हो तथा वह भूमि साल में दो/तीन फसलें काश्त करने योग्य हो ।

2. बंगर दोयम--वर्षा पर आधारित वह भूमि जो साल में दो/तीन फसलें काश्त योग्य हों परन्तु आबादी से दूरी पर हो तथा उस भूमि में खाद आदि उपरोक्त वर्णित बंगर अब्बल की अपेक्षा कम मात्रा में उपलब्ध हो ।

3. बंगर सोयम--वर्षा पर आधारित वह भूमि जो आबादी से काफी दूरी पर हो और उसमें खाद आदि भी बंगर अब्बल, बंगर दोयम की अपक्षा कम मात्रा में उपलब्ध होती हो नीज उस भूमि में साल में एक या दो साल में तीन फसलें काश्त होती हों ।

4. बागीचा बंगर अब्बल फलदार--फल वर्षा पर आधारित वह भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार लगा रखे हों और वे फल दे रहें हों तथा वह भूमि काश्त व फसल के लियाज से बंगर अब्बल के मुकाबले की हो ।

5. बागीचा बंगर अब्बल बिला फलदार —उपरोक्त अन्तिम परिभाषित वह भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार अभी इतने छोटे हैं कि वह फल नहीं दे रहे हैं ।
6. बागीचा बंगर दोयम फलदार—वर्षा पर आधारित वह भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार लगा रखे हों, और वे फल दे रहें हों तथा वह भूमि काश्त व फसल के लिहाज से बंगर दोयम और बंगर सोयम के मुकाबले ही हो ।
7. बागीचा बंगर दोयम बिला फलदार—उपरोक्त अन्तिम परिभाषित वह भूमि जिसमें द्रख्तान फलदार अभी छोटे-छोटे हैं और वे फल नहीं दे रहें हों ।
8. सैलाबी —वह भूमि जिसमें बरसात के मौसम में काफी पानी प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध होता है और उस भूमि में फसल खरीफ में प्रायः धान की फसल होती हो ।

नोट.—उपरोक्त किसी की भूमि को कहीं-कहीं नड़ या जोहड़ भी कहते है ।

नोट.—उपरोक्त वर्णित "बंगर" को कहीं-कहीं भू-राजस्व रिकार्ड में "लेहड़ी" भी दर्ज किया गयाहै जो "बंगर" ही तसब्बर हों ।

"गैर मजरूआ"

1. बंजर जदीद — वह भूमि जो कभी काश्ता थी, परन्तु लगातार चार फसलों (दो सालों) से बिला काश्त रही है तथा चार साल से अधिक बिला काश्त (खाली) न रही हो ।
2. बंजर कदीम —वह भूमि जो पहले काश्ता थी, परन्तु चार या चार से अधिक वर्षों से काश्त न की जा रही हो ।
3. घासनी —जमीदारान का मलकीयती वह रकबा जो घास काटई के लिए सुरक्षित रखा जाता हो और बाद घास कटाई आम चरान्द के लिए खुल जाता हो बशर्ते कि उस रकबा में को पौधे आदि न लगाये गये हो या मालिकान को ऐसे रक्बा को चरान्द के लिए खोलनेके लिए कोई एतराज न हो ।
4. वन—जमीनदारान का ऐसा मलकीयती रकबा जिसमें किसी भी प्रकार के द्रख्तान हो (मासिवाय फलदार द्रख्तान के)।
5. वनी—जमीनदारान की वह मलकीयती भूमि जिसमें पतीदार झाड़ियां जो चारे के काम आती हो ।
6. वन बांस—जमीनदारान का वह मलकीयती रकबा जिसमें बांस या बांसड़ियां (बैंझी) पाई जाती हो ।
7. घासनी सरकार—सरकार का वह मलकीयती रकबा जो किसी विभाग के कब्जा में हो और वह विभाग उस घासनी को इस्तेमाल करता हो ।
8. चरागाह द्रख्तान—सरकार का वह मलकीयती रकबा जिसमें द्रख्तान इस्तावां हो और उस रकबा में जमीदारान के हकूक वर्तन चरान्द आदि मवेशियान सुरक्षित हो ।
9. चरागाह बिला द्रख्तान —उपरोक्त अन्तिम परिभाषित यह रकबा जिसमें द्रख्तान न हो ।
10. जंगल रिजर्व —सरकार का वह मलकीयती रकबा जिसमें नियमानुसार ठड्डा-बन्दी हुई हो और उस क्षेत्र को रिर्जव जंगल करार दिया हो ।
11. जंगल मैहफूजा मैहदूदा—सरकार का वह मलकीयती रकबा जिसमें नियमानुसार ठड्डा-बन्दी हुई हो और वह क्षेत्र जंगल मैहफूजा मैहदूदा करार दिया हो ।
12. जंगल मैहफूजा गैर मैहदूदा —सरकार का वह मलकीयती रकबा जिसमें ठड्डा-बन्दी नहीं हुई हो और उस क्षेत्र को जंगल मैहफूजा गैर-मैहदूदा करार दिया हो ।
13. नरसरी —वन-विभाग का ऐसा रकबा जिसमें पौधों की नरसरी लगाई जाती हो ।
14. गैर मुमकिन—सरकारी/गैर सरकारी वह रकबा जो काबले काश्त न हो और जिसकी भविष्य काबले काश्त होने की कोई सम्भावना न हो ।

नोट .—उपरोक्त वर्णित गैर-मजरूआ की किस्म नम्बर 10 और 11 के अलग महालात कायम होंगे ।

अतः हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम 14 के प्रावधानानुसार उक्त विज्ञापन जारी करके आम व खास जनता तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन सूचित किया जाता है कि उक्त तजवीज अक्साम आराजी बारे किसी महानुभाव को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो या सुझाव आदि प्रेषित करना हो तो इस विज्ञापन की वसूली के एक मास के अन्दर-अन्दर लिखित रूप में कार्यालय हजा को प्रेषित करें ।

दिनांक 6 जुलाई, 1992.

हस्ताक्षरित/-
भू-व्यवस्था अधिकारी,
शिमला मण्डल स्थित शिमला-6

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।